

8-6-18

पत्रावली कोम्प...सि.डियास...को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....10.7.18...को पेश हो। प्रतिवादी के हार्जना पत्रावली पत्रावली
एक का अतिरिक्त पत्रावली रहेगा. सु.

10.7.18

पत्रावली पेश हुई। वादिया ऐप वादिया के अधिकता उपस्थित।
प्रतिवादी से 1 उपस्थित प्रतिवादी से 2, 3, 4 को कितनी
मर्तना आवाजे पिलायी जाने उपरान्त अनुपस्थित। शब्द
विक्रम एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। वास्ते प्रतिवादी से 1 के जवाब हेतु पत्रावली
दिनांक 16.8.18 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जरी
अस्पार्स निषेधाज्ञा आगे बढ़ायी जाती है। सु.

16.8.18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वादिया उपस्थित। वादिया
अधिकता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थिया को
यदि अस्पार्स निषेधाज्ञा नहीं मिली तो असुरणीय क्षति
होगी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थिया अधिकता
की बहस पर ममन किया जाकर शर्जना पत्र अन्तर्गत
द्वारा 212 RTA के तहत मूल वाद पत्र के विस्तारण
तक अस्पार्स निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फौसल सुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न
है।

सु.

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला बीकानेर

पत्रावली पत्रावली
दिनांक 16.8.18

पत्रावली पत्रावली
दिनांक 16.8.18